उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न **मान्यता बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 19/02/2011 का कार्यवृत्त।**

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया-

1-	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति	अध्यक्ष
2-	प्रो0 आबसार मुस्तफा खान, सदस्य योजना बोर्ड	सदस्य
3-	डॉ0 मुकुल त्रिवेदी, सदस्य, विद्या परिषद	सदस्य
4-	प्रो0 जे0 के0 जोशी, निदेशक, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उ0मु0वि0वि0	सदस्य
5-	प्रो0 दुर्गेश पन्त, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं आई0टी0, उ0मु0वि0वि0	सदस्य
6-	प्रो0 आर0 सी0 मिश्र, निदेशक/कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0	सदस्य सचिव

निम्न ने भी बैठक में भाग लिया -

1- श्री डी0 के0 सिंह, उप कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0
2- श्री एम0सी0 जोशी, सहायक कुलसचिव

प्रो0 एन0 पी0 सिंह, प्रो0 अजय रावत, प्रो0 एच0पी0 शुक्ल, प्रो0 एच0सी0पोखरियाल एवं डॉ0 एस0 फारूक अन्यत्र व्यस्त होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सकें।

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति ने बैठक में भाग लेने हेतु सभी का आभार व्यक्त किया तथा समय-समय पर उनके द्वारा दिये गये सुझावों एवं सहयोग की सराहना की। तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची पर विचार विमर्श आरम्भ हुआ।

प्रस्ताव संख्या- 2.01 **मान्यता परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 10 मई, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु।**

मान्यता बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 10 मई, 2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या: 2.02 **प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।**

प्रथम बैठक में पारित प्रस्तावों पर कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 2.03 **विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये जाने वाले अध्ययन केन्द्रों का स्वरूप।**

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कोलाबोरेटिव मोड तथा मोबाइल अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा यह मत व्यक्त किया गया कि कोलाबोरेटिव मोड तथा मोबाइल अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिये वही माप दण्ड एवं अन्य शर्तें बनाये रखी जॉय

जो पूर्व में स्वीकृत अन्य अध्ययन केन्द्रों के लिये प्रवृत्त हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सचल अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक प्रयास की सराहना की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 2.04 **विश्वविद्यालय द्वारा सचल अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु किये गये एम0ओ0यू0 से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद द्वारा सचल अध्ययन केन्द्र आरम्भ किये जाने हेतु इन्डियन नॉलेज कॉरपोरेशन (आई0के0सी0) एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुए अनुबन्ध पर सहमति व्यक्त की गयी। सचल केन्द्र के माध्यम से अध्ययन की व्यवस्था के व्यावहारिक होने से परिषद अवगत हुई। पाठ्यक्रम संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वाहन एवं आई0के0सी0 द्वारा आवश्यक साज-सज्जा कराये जाने से भी परिषद को अवगत कराया गया। पाठ्यक्रम की सफलता के आधार पर भविष्य में अतिरिक्त वाहनों के संयोजन पर भी सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 2.05 **विश्वविद्यालय द्वारा सहयोग के आधार पर स्थापित किये गये अध्ययन केन्द्रों के अनुबन्ध पत्रों (एम0ओ0यू0) से परिषद को अवगत कराया जाना।**

विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिये विभिन्न संस्थाओं से किये गये अनुबन्धों से परिषद अवगत हुई। भविष्य में अन्य संस्थानों से अनुबन्ध करने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि आवश्यकतानुसार अनुबन्ध कर लिये जाँय तथा उनकी सूचना परिषद की अगली बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत कर दी जाय।

प्रस्ताव संख्या- 2.06 विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये अध्ययन केन्द्रों एवं उनसे किये गये अनुबन्धों का विवरण।

प्रस्ताव में प्रस्तुत विवरण से परिषद अवगत हुई। आई0के0सी0 द्वारा मोबाईल अध्ययन केन्द्रों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में एक वाहन उपलब्ध कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा भविष्य में कार्यक्रम की सफलता के आधार पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराये जाने पर विचार किये जाने पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 2.07 विश्वविद्यालय एवं अध्ययन केन्द्र के मध्य होने वाले अनुबन्ध की समय सीमा 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किये जाने पर विचार।

अनुबन्ध पत्रों की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्ताव में मत व्यक्त किया गया कि 5 वर्ष की अवधि काफी लम्बी है तथा वांछित मापदण्ड पूरा न करने वाले अध्ययन केन्द्रों को अनुबन्धानुसार 5 साल तक बनाये रखना आवश्यक है अतः संस्थान हित में विचारोपरान्त भविष्य में किये जाने वाले अनुबन्धों की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किये जाने सम्बन्धी निम्न प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी :

वर्तमान	प्रस्तावित
The term of this Agreement ("Term") shall commence on the date of this Agreement and shall remain valid and in force for a duration of 5 years from the date of commencement of the first course.	The term of this Agreement ("Term") shall commence on the date of this Agreement and shall remain valid and in force for a duration of 3 years from the date of commencement of the first course.

प्रस्ताव संख्या- 2.08 <u>अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु निरीक्षण दल द्वारा स्थलीय जॉच हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्र के प्रारूप का अनुमोदन।</u>

परिषद द्वारा कार्य सूची के संलग्नक पर रक्षित आवेदन प्रपत्र एवं निरीक्षण दल की आख्या विषयक प्रारूप पत्र का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावित प्रपत्र को उचित पाया गया। अत: अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप पत्र एवं उसपर निरीक्षण दल की आख्या/संस्तुति हेतु विकसित प्रपत्र पर परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। प्रारूप पत्र संलग्नक 'क' पर है।

प्रस्ताव संख्या – 2.09 <u>विशिष्टता अर्जित करने वाले अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने पर विचार।</u>

प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को सुदृढ करने के लिये सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी योजना की सराहना की गयी। परिषद को अवगत कराया गया कि यह सहायता वाचनालयों के विकास एवं वर्तमान तकनीक के प्रचार-प्रसार एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जायेगी। अध्ययन केन्द्रों को दी जाने वाली सामग्री विश्वविद्यालय की होगी। यदि कोई अध्ययन केन्द्र अपने स्तर को बनाये नहीं रखता अथवा किन्ही कारणों से समाप्त हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा वापस ले ली जायेगी। वर्ष 2010-11 के लिये चुने गये अध्ययन केन्द्रों की सूची संलग्नक 'ख' पर है।

✓प्रस्ताव संख्या- 2.10 <u>निर्धारित छात्र संख्या न होने पर अध्ययन केन्द्र समाप्त किये जाने अथवा उस अध्ययन केन्द्र पर पंजीकृत छात्रों को किसी अन्य अध्ययन केन्द्र पर समायोजित किये जाने पर विचार।</u>

परिषद के संज्ञान में लाया गया कि कुछ अध्ययन केन्द्रों पर छात्र संख्या अत्यधिक कम या नहीं रही है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। कम छात्र संख्या की दशा में अध्ययन केन्द्र द्वारा परामर्श सत्रों का आयोजन कदाचित न किया जाय जिससे शिक्षा पद्धति की महत्ता पूर्ण न होने के साथ-

साथ अनिवार्य अंग छूट जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: प्रस्ताव पर विचार उपरान्त परिषद ने परम्परागत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में न्यूनतम छात्र संख्या क्रमश: 10 एवं 5 होने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। परिषद ने यह भी मत व्यक्त किया कि यदि किसी अध्ययन केन्द्र पर निर्धारित संख्या से कम छात्र पंजीकृत होते है तो विश्वविद्यालय को ऐसे पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों को समीपस्थ अध्ययन केन्द्र पर शुल्क सहित स्थानतरित करने का अधिकार होगा।

प्रस्ताव संख्या- 2.11 **विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में पाठ्यक्रमवार पंजीकृत विद्यार्थियों का विवरण।**

प्रस्तुत प्रस्ताव से परिषद अवगत हुई। वर्ष 2010-2011 में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना में हुई गुणोत्तर वृद्धि के लिये कुलपति के प्रयासो की सराहना की गयी। प्रो0 आबसार मुस्तफा द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार कौशल विकसित करने तथा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन स्तर के विकास सम्बन्धी पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 2.12 **वर्ष 2010-11 के द्वितीय छमाही (सेमेस्टर) तथा आगामी वर्ष 2011-12 से आरम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों की स्थापना पर विचार।**

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विचार करते समय यह ध्यान में रखा जाय कि नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना की अनुमति दिये जाने की दशा में पूर्व से चल रहें अध्ययन केन्द्रों पर कोई कुप्रभाव तो नही पड़ेगा। अध्ययन केन्द्र की स्थापना के औचित्य तथा उसपर निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 2.13 **वर्ष 2010-11 मे स्थापित अध्ययन केन्द्रों में से ऐसे अध्ययन केन्द्र जिसमें किसी विद्यार्थी का पंजीकरण नहीं हुआ के साथ किये गयें अनुबन्ध को निष्प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में।**

परिषद को अवगत कराया गया कि 25 अध्ययन केन्द्रों पर किसी भी पाठ्यक्रम में कार्यक्रम संचालित नही किये गये। अत: शून्य छात्र संख्या वाले अध्ययन केन्द्रों को बनाये रखने का औचित्य नही प्रतीत होता। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मत व्यक्त किया गया कि जिन अध्ययन केन्द्रों पर कोई छात्र पंजीकृत नहीं हुआ है उन्हें इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाय की क्या वह अध्ययन केन्द्र बनाये रखने के इच्छुक है तथा क्या भविष्य में उनके केन्द्र पर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम संचालित होने की सम्भावना है अथवा नही। यदि अध्ययन केन्द्र के संस्थापक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालन हेतु रूझान नही व्यक्त किया जाता तो विश्वविद्यालय कारणों का उल्लेख करते हुए अनुबन्ध पत्र को समाप्त करने की कार्यवाही करेगा यथा, अध्ययन केन्द्र के संस्थापक को सूचित करते हुए कि उन्होने केन्द्र को बनाये रखने के

सम्बन्ध में रूचि नही दिखाई है और न ही अध्ययन केन्द्र में पाठ्यक्रम संचालन का आश्वासन दिया गया है अतः संस्थान एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुए अनुबन्ध पत्र को क्यों न समाप्त कर दिया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 2.14 <u>विश्वविद्यालय के अनुमोदित अध्ययन केन्द्रों द्वारा संगोष्ठी/कार्यशाला कराये जाने पर आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।</u>

प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। परिषद का मत है कि चूंकि प्रकरण में वित्तीय उपाशय निहित है अतः वित्त समिति एवं कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। यह भी मत व्यक्त किया गया कि प्रस्तावित आर्थिक सहायता उन्ही कार्यक्रमों के लिये विचार की जाय जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति से आच्छादित हों।

परिषद की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

कुलसचिव